राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	4044/2025	मोहन सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, धौलपुर।
2.	4045/2025	सोवरन सिंह	
3.	4046/2025	राधेश्याम सिकरवार	

आदेश की दिनांक : 28.08.2025

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एक समान है। इसलिए समस्त अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4044/2025 मोहन सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

3. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 16.03.2010 (अनुलग्नक–1) द्वारा प्रबोधक के पद पर हुई तथा अपीलार्थी वर्तमान में प्रबोधक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पुरा उमरारा, सैपउ, जिला धौलपुर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 28.06.2018 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 26.03.2012 से स्थाई किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के समान कार्मिक को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2008 से वरिष्ठता एवं एसीपी का लाभ दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5405/2012 सुमन झंवर व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> "Therefore, the present writ petitions are disposed of with liberty and direction to the petitioners to file appropriate representation with relevant evidence before the appointing authority, who has issued the orders of appointment to the petitioners claiming the same relief, as purportedly given to other similarly situated persons. It is expected to the respondent authority to pass speaking orders after providing opportunity of hearing to the petitioners or their authorized representative as to why similar benefit cannot be extended to them though other persons have been given such benefits. If, however, any adverse order is passed against the petitioners, the petitioners will be at liberty to avail the legal remedy available to them in accordance with law."

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह कथन है कि अपीलार्थी का प्रकरण माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 36/2022 वीरपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.09.2021 के समान तथ्यों पर आधारित है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक धौलपुर के आदेश दिनांक 23.07.2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा समान प्रवृति के कार्मिकों को नोशनल, वरिष्ठता का लाभ एवं शेष अन्य समस्त परिलाभ वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से देय किये गये। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में काल्पनिक वेतन स्थिरीकरण एवं वरिष्ठता लाभ दिनांक 01.10.2008 से ही 9, 18 एवं 27 बयानेत देतचनान/ए.सी.पी. देय है। अत. अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं माननीय अधिकरण के निर्णयानुसार प्रबोधक भर्ती 2008 के अन्तर्गत अपीलार्थी को समस्त परिलाभ दिनांक 01.10.2008 से दिये जावे।
5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
8. मूल आदेश अपील संख्या 4044/2025 में रखा जावें एवं इसकी छाया प्रति अन्य दोनों अपीलों में सलंग्न की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य